| व्यय (लाखों में) |
|------------------|
| 1.86 |
| 0.64 |
| 0.63 |
| 2.01 |
| 2.08 |
| |

बाल साहित्य ग्रकादमी का स्थापितः किया जाना

2223. श्री कपिल वर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सत्त है कि राष्ट्रीय गैक्षिक प्रणिक्षण एवं अनुसंधान परिषद् और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा वाल साहित्य के लिये किया जा रहा कार्य पर्याप्त है ; यदि हां तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर बाल साहित्य मंबंधी कितनी पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित की गई ;
- (ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "नां" में है तो क्या सरकार केन्द्रीय बाल साहित्य ग्रकादमी बनाने का विचार रखती है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; भौर
- (ग) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंघान परिषद् भी देश में शिक्षा नीति पाठ्यकम और पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने का काम करती है; यदि हां, तो प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की सूची क्या है और प्रतिवर्ष ये पुस्तकों वाजार में कब विकी के लिये आती हैं तथा इनकी संख्या क्या है; और इ⊣ संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद् और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को वितरण के क्या प्रबंध किये हैं?

नानव संसाधन विकास मंत्राहर में राज्य मंत्री (श्री चिमनमाई मेहता):(क) भीर (ख) रा० ग्रै० ग्र० ग्र० प० ने भ्रभी तक बच्चों की पुस्तकों के 40 शीर्षक प्रकाशित किए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान रा० ग्रै० ग्र० प० ने श्रंग्रेजी, हिन्दी, क उर्दे में 36 सप्लीमेंटरी रीडर भी

प्रकाशित किये हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 304 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। यह ग्रब बच्चों के साहित्य के लिए राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रकाशकों, लेखकों, चिन्नकारों तथा ग्रन्य लोगों को, जहां तक संभव हो, एक स्थान पर देश व विदेशी सामग्री तथा विशेषज्ञता ग्रीर बच्चों के साहित्य के शीघ्र व संतुलित विकास की प्रोन्नति के लिए संगत जानकारी उपलब्ध कराना है।

(ग) स्कूली शिक्षा की विषयवस्त् तथा प्रगति के पुनः अनुस्थापन की ओर प्रयास के एक भाग के रूप में, रा. गै. ग्र. प्र. परि. ने स्कूल शिक्षा केसभी स्तरों के लिए राष्टीय पाठयचर्या ढांचा बनाया है तथा कक्षा 1 से -11 के लिये पाठ्यचर्या व पाठ्यपूस्तकें विकसित की हैं। रा०भीं०अ०प्र०परि० द्वारा तैवार की गई पाठ्यचर्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा ग्रन्य राज्य सरकारों द्वारा पाठ्यचर्या के निर्धा-रण के लिए ग्राधार है। राज्यों तथा संघ शासित प्रशासनों द्वारा रा० गै० अ० प्र० परि० की पाठयचर्या तथा पाठ्य पुस्तकों के ग्रपनाने के बाद ही इनका प्रयोग किया जाता है । प्रकाशित किये जाने वाली पाठय पुस्तकों के 213 शीर्षकों में से, रा० ग्रैं ग्र० प्र० परि० 176 शीर्धक पहले ही प्रकाशित कर चुका है। विस्तृत स्थिति विवरण में दी गई है। (नींचे

रा० ग० थ्र० प्र० परि० द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों का वितरण मुख्य रूप में सूचभा व प्रसारण मंत्रालय , भारत सरकार के प्रकाशन प्रभाग के माध्यम से दिल्ली, वम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विवेन्द्रम, लखनऊ पटना तथा हैदराबाद में स्थित उनके विक्री एम्पोरियम से किया जाता है । रा० गैं० ग्र० पर परि० द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों के वितरण को सरल बनाने के उद्देश्य से परिषद् ने विशेष रूप से राज्य राजधानियों, में, जहां प्रकाशन प्रभाग के विक्री एम्पोरियम उपलब्ध नहीं हैं, ग्रौर ग्रधिक निजी थोक विक्री एजेंट नियुक्त किए हैं । राय्ष्ट्रीय पुस्तक न्यास बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों प्रकाशित नहीं करता ।

Service Control of the Control of the Service Control of the Service

विषरण

शैक्षिक सन्न, 1990-91 के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली रा० शै० प्र०प्र०परि० की पाठ्य पुस्तकें देने के संबंध में स्थिति

| কজ্য | | उपलब्ध कराये जाने बाले शीर्षक की कुल संख्या | | दिए गए शीर्षकों की कुल संख्या | | 25-5-90 व 15-6-90 कें बीच जारी किए जाने वाले शीर्षकों की संख्या | | दूसरे सत्न के लिए प्रपेक्षित शीर्षकों की संख्या, जो अक्तूबर, 1990 के घंत तक जारी की जाएंगी | |
|-------------|--------------|---|-----|----------------------------------|-----|--|---------------|---|-------|
| I | | | 5 | | 5 | | . | | |
| II | | 1 | 5 | , | 5 | · · · | - | | |
| III | | | 8 | | . 8 | | - | | - |
| IV | Test Test | | . 9 | | 9 | : | ٠ 🚤 | | · |
| V | | | 11 | • | 11 | | - | | _ |
| VI | | | 16 | | 14 | | 2 | | ***** |
| VII | | | 15 | | 13 | | 2 | | • |
| VIII | | | 16 | A | 16 | | - | - | - |
| ΙX | • • | | 19 | | 10 | | - | •. • | - |
| X | | | 19 | 7 | 7 | | 10 | | 2 |
| ΧI | | | 48 | 4.4 | 44 | | 2 | i. | 2 |
| XII | | | 42 | | 25 | | 11 | | 6 |
| क ुल | | | 213 | | 176 | . ` 2 | 27 | | 10 |

Compulsory Retirement of Government officers

2224. KUMARI SAYEEDA KHATUN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether Government are considering a proposal to retire compulsorily some Central Government officers by ivoking section 56 J of Fundamental Rules;
- (b) if so, what are the charges against such officers and whether these have been investigated by any intelligence agency of CBI; if so, the details thereof?

THE PRIME MINISTER
AND THE MINISTER OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI
VISHWANATH PRATAP SINGH):

(a) and (b) Rule 56(j) of the Fundamental Rules confer on Government an absolute right to retire a Government Servant in public interest under stipulated conditions. Proposals under this provision are considered by the Competent Authority in the concerned Ministry/Department in accordance with the procedure prescribed under instruction issued from time to time. No specific case is under consideration of the Department of Personnel and Training to invoke section 56(j) of ths Fundamental Rules. The power to invoke the provisions of FR 56(J), in accordance with the prescribed procedure and guidelines, issued by the Government of India from time to time lies with the competent authority, in the light of facts and circumstances of each case.